बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म0प्र0)

कैम्प :- इंदौर

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :=

प्रस्तुति दिनांक :=

श्री ....
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक ......
को प्रस्तुत

1. रतिराम पिता केशव
2. नारायण पिता केशव
3. नत्थू पिता केशव
4. पुरुषोत्तम पिता केशव

सभी का व्यवसाय कृषि, सभी निवासी ग्राम सिरपुर, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर म0प्र0 --- पुनरीक्षणकर्तागण

-विरुद्ध-

1 प्रभाकर पिता रामकृष्ण, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सिरपुर तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर म0प्र0

2 चमेली बाई पति प्रभाकर, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सिरपुर तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर म0प्र0

---- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्तागण निवेदन करते है कि :=

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, नेपानगर जिला बुरहानपुर म0प्र0 के रा.प्र.क्र. : 15-अ/70 वर्ष 2012-13 "" प्रभाकर पिता रामकृष्ण वगैरा -विरुद्ध- रतिराम पिता केशव व अन्य " (कस्तुराबाई बेवा केशव वगैरा) में प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू रा.संहिता, 1959 जिसे अनुमति हेतु न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर को प्रेषित किया गया था जिसके आदेश दिनांक 05.02.2014 से पीडित एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

---

15.7.2014	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
	अध्यक्ष